न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 12/19

GCMS NO 2019/00018

श्रीमती पानो पत्नि कल्याण जाति माली निवासी तीन दरवाजा करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भंवर
2. मुरारी पिसरान किशोर
3. योगेश पुत्र शंकर
4. सरोज पत्नि भंवर जातियान आदिगौड निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
5. बाबूद्दीन पुत्र शकूर जाति मुसलमान निवासी इमलीवाला बाग करौली तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 84/05 निर्णय दिनांक 4.1.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्यामप्रकाश गर्ग

अभिभाषक रैस्पो0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

दिनांक 28.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय दिनांक 4.1.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे सायला/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजीयात ख0न0 7660,7661,7685 लगायत 7870, 7872,7663 कुल किता 10 कुल रकबा 5 बीघा 7 विस्वा वाके कस्बा करौली सायला की खरीद शुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। जिसमे गैर सायलान का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। गैर सायलान सहजोर किस्म के व्यक्ति है । गैरसायल न0 1 ता 3 व 5 हमारे खेत के पडोसी है और हमारी जमीन से इनकी जमीन की सीमा लगी हुई है। ताकत के बल पर हमारे खेतो मे घूस कर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। दिनांक 14.7.05 को समस्त गैरसायलान ताकत के बल पर जबरन बेदखल करने की धमकी दी है। गैरसायलान हमारी जमीन को अपने खेतो मे मिलाने पर उतारू है। इस कारण यदि गैर सायलान इस मकसद मे सफल हो गये तो सायला को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं हक हकूक सायला पर गहरा आघात होगा। ... गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ... 5 बीघा 7 विस्वा करौली मे सायला के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की ... ना स्वयं करे ना ही अन्य किसी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:46:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायला/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायलान को सायला की उक्त भूमि के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करने एवं सायला को गैरसायलान की आराजीयात ख0न0 6669/9811, 7658, 7659, 7868/9753,7655 वाके कस्बा करौली के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करने अर्थात एक दूसरे की भूमि एक दूसरे को दखल नही करने का आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायला द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलांट के खाते व कब्जे की रही है। रेस्पो0 अपीलांट की जमीन को अपनी जमीन से मिलाने पर उतारू है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जो निर्णय होने तक जारी रही थी। रेस्पो0 ने अपीलांट के सीसम के पेड व कुआ तक को अपना बताने लग गये। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को पाबन्द कर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। रेस्पो0 जबाव/काउन्टर क्लेम शुद्व हस्त से नही आया है जबाब काउन्टर क्लेम मे रेस्पो0 ने यह तक दर्ज नही किया है कि कौनसी जमीन पर मुझे पाबंद कराना चाहते है। काउन्टर क्लेम की दादरसी मे कही भी यह दर्ज नही है। रेस्पो0 के खाते की जमीन मे पाबन्द किया जावे बल्कि रेस्पो0 विवादित जमीन जो मुझ अपीलांट की है। उसमे मुझे पाबंद कराने की दादरसी चाही थी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। प्रतिवादी काउन्टर क्लेम सिर्फ उसी जायदाद या विवाद का चल सकता है जो दावे मे दर्ज हो। प्रतिवादी यदि कोई अन्य दादरसी चाहता है तो उसे अलग से दावा करना चाहिए था। इस बात पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। रेस्पो0 का काउन्टर क्लेम कब कहां व किस प्रकार विनाय दावा पैदा हुई और किस कारण से काउन्टर क्लेम की दादरसी लेना चाहता है । काउन्टर क्लेम मे दर्ज नही होने पर भी रेस्पो0 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर अदालत मातहत ने भूल की है। गैरसायल रेस्पो0 अपनी जमीन की आड मे मेरी जमीन को अपनी बताने लग गये है। अब काउन्टर क्लेम स्वीकार होने पर गैरसायलान इस अस्थाई निषेधाज्ञा की आड मे मेरी जमीन मे मदालखत कर मेरी जमीन को छीनने पर उतारू हो सकते है। इस तथ्य को अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अपीलांट का केस प्रथम दृष्टया मजबूत है। गैरसायल/रेस्पो0 ने काउन्टर क्लेम की आड मे मुझ अपीलांट को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीयां को बडी तकलीफ होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा सकेगी। सुविधा का संतुलन भी मेरे पक्ष मे है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो से परे आदेश दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पो0 को अनावश्यक व्यवधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:46:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डालने की नियत से पेश किया गया था। अपीलांट अपनी आराजीयात पर पूर्ण रूप से काबिज काश्त है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की आराजीयात के बाबत किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही नही किया गया है। उसके द्वारा केवल मात्र कपोल कल्पित बाते बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। रेस्पो0 की आराजीयात ख0न0 6669/9811, 7658, 7659, 7868/9753,7655 वाके कस्बा करौली मे अनाधिकार रूप से बाधा उत्पन्न की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायला/अपीलांट को गैरसायलान/रेस्पो0 की आराजीयात मे व्यवधान नही डालने एवं रेस्पो/गैरसायलान को अपीलांट/सायला की आराजीयात मे व्यवधान नही डालने हेतु विधि के अनुरूप ही पाबन्द किया गया है। अपीलांट द्वारा वाद कारण का जो उल्लेख किया गया है वह मनगढन्त है। रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी व विनाय दावा उत्पन्न नही किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही निर्णय पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट एवं रेस्पो0 की आराजीयात पास पास है। अपीलांट के कथन अनुसार रेस्पो0 अपीलांट की आराजीयात मे बाधा उत्पन्न करता है तथा रेस्पो0 के कथन अनुसार अपीलांट रेस्पो0 की आराजीयात मे बाधा उत्पन्न करता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो0 को एक दुसरे की आराजीयात मे बाधा उत्पन्न नही करे एवं निर्माण कार्य नही करे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वाहुलता उत्पन्न नही हो इस तथ्य को दृष्टिगत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 84/05 मे पारित निर्णय दिनांक 4.1.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.2.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:46:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner